राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या –83 / 2022

(अपील संख्या–3746 / 2021)

गोविन्द सहाय बैरवा —प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री पवन कुमार गोयल, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. श्री कानाराम, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. श्री रामकेश मीणा, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. श्री घनश्याम दुत्ता जाट, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
5. श्री मोहर सिंह जाटव, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,सहरौन, कोटड़ा, जिला धौलपुर।

—अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.04.2022
आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित :–
प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– **अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से निवेदन किया गया है कि अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2021 के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 6634 / 2022 राजस्थान राज्य बनाम गोविन्द सहाय बैरवा प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 28.06.2022 पारित कर इस अधिकरण के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखा था। प्रत्यर्थी विभाग ने स्थगन आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की है।

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.06.2022 की प्रति रिकॉर्ड पर रखी जाये। चूंकि इस अवमानना याचिका में जिस आदेश की अवमानना किया जाना अपीलार्थी ने बताया है, उसे माननीय उच्च न्यायालय

ने स्थगित रखा है। ऐसे में अवमानना याचिका में अब कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना इस स्तर पर संभव नहीं है।

3. अतः यह अवमानना याचिका इस आदेश के साथ निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थी भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय होने पर अथवा स्थगन आदेश निरस्त किये जाने की स्थिति में पुनः नये सिरे से अवमानना याचिका प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेगा। अवमानना याचिका में कार्यवाही ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)